न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 38/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. राजेश भाटी पुत्र स्व0 नेमाराम भाटी जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला—पाली।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक 22/03/22

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादी एवं वादी की माता पानी देवी बेवा नेमाराम, खीवली बेवा नेमाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 532 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.9500, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.0600, खसरा नम्बर 536 रकबा 1.8000, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.9100, खसरा नम्बर 538 रकबा 1.8400, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.1600, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.5800 एवं खसरा नंबर 541 रकबा 1.3700 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 11.1000 हैक्टर की स्थित है, उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में पानी बेवा नेमाराम का 1/6 हक हिस्सा, खीवली बेवा नेमाराम का 1/6 हक हिस्सा तथा वादी का 1/6 हक हिस्सा निहित है, शेष 1/2 हक हिस्सा वादी के पिता नेमाराम पुत्र उन्दरराम के नाम दर्ज सुदा है। जिनका अभी तक फौतेदगी नामान्तरण होना शेष है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को वाद पत्र में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियो के द्वारा वादी के सही एवं दस्तावेजी का अवलोकन किये बिना पेन ऑफ मिसटेक एवं सद्भाविक त्रुटिवश राजेश के स्थान पर राजाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि वक्त इन्द्राज वादी नाबालिग था जिसकी उम्र 13—14 वर्ष थी, वादी के पिता का वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज से पूर्व स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की माता पानी देवी महिला एवं अनपढ़ निरक्षर होने एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त हुई त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी के अभाव में रेकर्ड में दुरस्ती की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकी। वादी को घर परिवार समाज में जन्म से लाड प्यार से राजाराम के नाम से ही जाना पहिचाना एवं पुकारा जाता है अर्थात् वादी राजेश एवं राजाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। वादी के परिवार में राजाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में वादी का सही एवं वास्तविक, दस्तावेजी नाम राजेश भाटी ही दर्ज है, जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में राजाराम त्रुटिवश दर्ज किया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम राजेश के स्थान पर राजाराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी, वादी की माता अनपढ़, निरक्षर महिला होने व राजस्व रेकर्ड की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 01/07/2020 को वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में राजेश भाटी दर्ज न होकर राजाराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी, जिस पर वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम राजेश भाटी दर्ज न कर राजाराम पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी राजेश भाटी का नाम दूरूस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा तथा उक्त कृषि भूमि के अन्य सह खातेदारान वादी की माता क्रमशः पानी देवी (जाईन्दा माता) एवं खिवली देवी ही है। जिनके भी उक्त रेकर्ड दुरूस्ती की सहमति बाबत शपथ पत्र संलग्न वाद पत्र है। इसलिये वादी वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजाराम के स्थान पर राजेश भाटी से खातेदारी घोषणा करवा कर रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादी के बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये वक्त इन्द्राज राजेश भाटी के स्थान पर राजाराम दर्ज कर देने से व वादी उक्त इन्द्राज नबालिग होने व वादी की माता अनपढ़, निरक्षर का पूर्व में जानकारी नहीं होने से व दिनांक 01/07/2020 को वादी द्वारा उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में राजेश भाटी दर्ज न होकर राजाराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने से वादी कारण बमुकाम उत्पन्न हुआ जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादी का नाम राजेश भाटी के स्थान पर राजाराम दर्ज हो जाने से वादी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेश भाटी दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में वादी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती नहीं करने से उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादस्थ कृषि भूमि मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होने से व वाद खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती का होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार राजेश भाटी पुत्र नेमाराम भाटी निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये।

प्रतिवादी तहसीलदार सोजत तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 29.09.2021 को पेश किया। कि वादस्थ कृषि भूमि मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार सोजत से हस्तगत प्रकरण के परिपेक्ष्य में मौका व रेकर्ड अनुसार जॉच प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 52 से 534, 536 से 451 में राजाराम

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

पुत्र नेमाराम 1/6 नाबा की कुदरती वली माता पानी देवी पत्नि नेमाराम दर्ज है। राजाराम पुत्र नेमाराम व राजेश भाटी पुत्र नेमाराम एक ही व्यक्ति है। राजेश भाटी पुत्र नेमाराम बालिक हो चुका है। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट में वर्तमान इन्द्राज राजाराम पुत्र नेमाराम के स्थान पर राजेश भाटी पुत्र नेमाराम 1/6 दर्ज किये जाना प्रस्तावित किया है।

बहस अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 532 से 534, 536 से 451 में वर्तमान इन्द्राज राजाराम पुत्र नेमाराम 1/6 के स्थान पर राजेश भाटी पुत्र नेमाराम 1/6 दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपनि नही होना जाहिर किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबुत व तहसीलदार सोजत की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजेश भाटी होने की सपुष्टि होती है वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा मानवीय/सदभाविक चूॅक/भूलवश उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम राजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम राजेश भाटी घोषित किया जाकर दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.9500, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.0600, खसरा नम्बर 536 रकबा 1.8000, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.9100, खसरा नम्बर 538 रकबा 1.8400, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.1600, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.5800 एवं खसरा नंबर 541 रकबा 1.3700 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 11.1000 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूॅक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम राजाराम पुत्र नेमाराम के स्थान पर राजेश भाटी पुत्र नेमाराम भाटी, कौम घांची सा0 देह खातेदार घोषित किया जाता है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

राजेश भाटी पुत्र स्व0 नेमाराम भाटी जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला–पाली।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 38/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.9500, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.0600, खसरा नम्बर 536 रकबा 1.8000, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.9100, खसरा नम्बर 538 रकबा 1.8400, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.1600, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.5800 एवं खसरा नंबर 541 रकबा 1.3700 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 11.1000 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम राजाराम पुत्र नेमाराम के स्थान पर राजेश भाटी पुत्र नेमाराम भाटी, कौम घांची सा0 देह खातेदार घोषित किया जाता है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/03/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला-पाली)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.